


समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसके कई पहलुओं और आभाव होते हैं और इसे पार्परिक और सैद्धांतिक सीमाओं में 'बांधा', संतोष और सीमित नहीं किया जा सकता। इस कथन के संर्वर्ग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए परिवर्तनों का समालीननामनुक्रम क्षेत्रों में इस कित्ति के अनभासी के क्षेत्र वौलिक अधिकारी द्वारा सुरक्षा की प्रकार सुनहरा किया है?

समानता से तात्पर्य सभी स्वितभी की समान अधिकार व अधिकार प्रदान करने से है चाहे उनकी सामाजिक, अर्थिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

भारतीय संविधान भाग - 3 के अनुच्छेद 14 - 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान कुरत है यह अधिकार नागरिकों व नौर-नागरिकों की ओर उपलब्ध है।



समानता एक गतिशील अवधारणा : क्या ?

(१)

पारम्परिकता वनाम आधुनिकता

८) पारम्परिकता का सिद्धांत सभी व्यक्तियों
के साथ समानता के व्यवहार की नकाल
करता है।

वही आधुनिक व्यक्ति के आर्थिक व
आमाजिक पिछेपन के ह्यान रखकर सकारात्मक
भेदभाव की अवधारणा और संकल्पना की प्रस्तुत
करता है।

उदाहरण, सरकारी शोजनाओं द्वारा
कम्बजोर कर्मी की सहायता (प्रधानमंत्री
अन्न शोजना, गरीब कल्याण शोजना, आमुजमान
भारत)

(२)

समानता का अधिकार जीवंत दस्तावेज का
अंग

९) संक्षिदान में वर्णित भौतिक अधिकार
में विद्यामिका व व्यायपालिका द्वारा आधुनिक
व्याख्या व जांगी का समावेशन

उदाहरण

ईंदिरा साहनी क्या वे आर्थिक क्षण से

पिछले वर्षों के लिये आरक्षण राजित कर दिया था परन्तु जनवाद बनाम भारत संघ (2022) में EWS के आरक्षण संविधानिक वैष्णव प्रदान की ।

③ भारतीय अधिकार में समावेशन की प्रोत्साहन

→ भारतीय दंड संहिता में समस्तेभाल के द्वारा 377 में अपराध की श्रेणी में व्या गमा था परन्तु 2018 में नवतेज सिंह जीहर केस में कहे अपराध की श्रेणी से बाहर कर भारत में समावेशन के शामिल किया ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 की प्राप्ति में उच्चतम व्याधालय द्वारा किये गये परिवर्तन

उच्चतम व्याधालय द्वारा अनुच्छेद 14 में शामिल अधिकार की मनमानी के विषय सुरक्षा नियन्त्रण द्वारा प्रदान की है ।

① इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993

६) इसके अन्तर्गत आरक्षण की सीमा को
‘क्रीमीलेन्स’ के सिहंदात का प्रतिपादन किया
जाएगी और आर्थिक रूप से समृद्धि निवारण
आविष्यों की आरक्षण की व्यवस्था से दूर रखा
है।

७) आरक्षण की सीमा ५०% निर्धारित की जो
‘प्रशासनिक दस्तावेज़’ की प्रभावित उपर्युक्त किए
पिछड़े कर्मी के समावेशन की प्रीत्यसाहित छूट है।

② नागरिक बनाने भारत संधि २००६


८) SC, ST के लिये पढ़ी-नहि में आरक्षण ५
परन्तु निर्धारित शर्तों की पूरा करना अनिवार्य।

③ बरनेल संहि बनाने अन्य २०१८

९) SC, ST के पढ़ी-नहि हेतु भागात्मक डेया
उपस्थिति करना अनिवार्य।

④ जनवाद बनाने भारत संधि २०२२

१०) आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वां कर्मी के
लिये आरक्षण हेतु 103 के संविधान संशोधन
की वेदात परन्तु आरक्षण १०% की सीमा
के साथ



उस प्रकार समानता के अधिकार में गतिशीलता ने केवल व्युजामानी विकास की प्रीत्याहन बढ़ाई है वहाँ प्रशासनिक भौतिकी के आमानी के विकल्प संरचना प्रदान करती है। जो लोकतंत्र लोकतंत्र के आधार की मजबूती प्रदान कर 'अनुत्तरकाल के लक्ष्य' की प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।